NCDC द्वारा स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखण्ड की राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं अनुमोदन समिति **(SLSSC)** की दिनांक 12 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार बंसल, प्रबन्ध निदेशक, एन0सी0डी0सी0, नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग।
2. डॉ0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम, सचिव, सहकारिता, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. डॉ0 पूजा गर्ब्याल, अपर सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्रीमती दीपा श्रीवास्तव, क्षेत्रीय निदेशक,एन0सी0डी0सी0, देहरादून।
7. श्री अमित निगम, उप निदेशक, एन0सी0डी0सी0, देहरादून।
8. श्री आनन्द ए0डी0 शुक्ल, नोडल अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, सहकारिता, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखण्ड।
9. डा0 अविनाश आनन्द, परियोजना निदेशक, भेड़–बकरी क्षेत्रक, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखण्ड।
10. श्री जयदीप अरोड़ा, परियोजना निदेशक, डेयरी क्षेत्रक, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखण्ड।
11. श्रीमती अल्पना हल्दिया, परियोजना निदेशक, मत्स्य, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखण्ड।
12. श्री मनोज सिंह रावत, कार्यक्रम प्रबन्धक, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना।
13. श्री फरीद किरमानी, पी0एम0सी0, सहकारिता क्षेत्रक, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखण्ड।

राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं अनुमोदन समिति (SLSSC) के सदस्य सचिव, सचिव, सहकरिता द्वारा समिति के समक्ष परियोजना के विषय में एक संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य प्रस्तुत किया गया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की CSISAC (Component-1) की Scheme के अन्तर्गत राज्य की सहकारी समितियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण तथा ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन व कृषकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से राज्य में **"राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना"** का संचालन किया जा रहा है। परियोजनान्तर्गत सचिव, सहकारिता द्वारा एजेण्डावार निर्धारित बिंदुओं पर प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार किया गया :–

एजेण्डा बिन्दु सं0 1:–राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2020–21 व 2021–22 में किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति पर चर्चा।

सचिव, सहकारिता द्वारा परियोजना के चारों क्षेत्रकों, सहकारिता, मत्स्य, डेयरी एवं भेड़–बकरी क्षेत्रकों में क्रियान्वित गतिविधियों की भौतिक प्रगति पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

	• 18 हैक्टेयर भूमि में इन्टीग्रेटेट फार्मिंग के सापेक्ष पन्गास एवं कार्प की फार्मिंग की जा रही है, जिसके फलस्वरूप 02–04 मी0टन प्रति हैक्टेयर पंगास एवं कार्प का उत्पादन किया जा रहा है। • उत्तरा फिश ब्राण्ड का विकास कर 01 रिटेल आउटलेट की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से वर्तमान तक 3205 किलोग्राम मछली का विपणन किया गया है।

समिति अध्यक्ष महोदय ने परियोजनान्तर्गत चारों क्षेत्रकों द्वारा किये उपरोक्त कार्यो अवलोकन किया एवं सहकारी क्षेत्रक को डमस्क रोज, मशरूम उत्पादन, मौन पालन एवं अदरक उत्पादन गतिविधियों के रिवाइवल प्लान एवं मत्स्य क्षेत्रक को ट्राउट एवं पंगास के उत्पादन एवं विपणन में और अधिक ध्यान देकर कार्य किये जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा पूर्व में विकसित किये गये अनुपयुक्त अवस्थापनिक इकाईयों को इस परियोजना हेतु प्रयोग में लाया जाए। इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों के समन्वय स्थापित करते हुए बैठक आहूत किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु सं0 2:–राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2020–21 व 2021–22 में स्वीकृत धनराशि के उपयोग पर चर्चा।

सचिव, सहकारिता द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा परियोजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 व 2021–22 में रू0 100.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष परियोजनान्तर्गत क्षेत्रवार कुल रू0 97.62 करोड़ की धनराशि का उपयोग निम्नानुसार किया गया है:–

(धनराशि करोड़ में)

क्षेत्रक का नाम	अवमुक्त धनराशि	उपयोगित धनराशि	उपयोगिता का प्रतिशत
सहकारिता	33.00	33.00	100
भेड़–बकरी	30.00	30.00	100
डेयरी	22.00	22.00	100
मत्स्य	15.00	12.62	84.13
योग:–	**100.00**	**97.62**	**97.62**

वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 97.62 प्रतिशत धनराशि उपयोग में लायी गयी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मत्स्य क्षेत्रक आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्यो में गति लाते हुए तत्काल धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करें।

एजेण्डा बिन्दु सं0 3–अ:– परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 व 2022–23 में अवमुक्त धनराशि रू0 87.00 करोड़ (रू0 73 करोड ऋण एवं रू0 14 करोड अनुदान/सब्सिडी) परियोजना क्षेत्रक, सहकारिता क्षेत्रक, डेरी क्षेत्रक, भेड़–बकरी एवं मत्स्य क्षेत्रक द्वारा प्रस्तावित मांग अनुसार/ पुनरीक्षित (Revised) धनराशि हस्ताक्षर पर विचार।

सचिव, सहकारिता द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में सहकारिता क्षेत्रक द्वारा रू0 73.00 करोड़ के ऋण की मांग एन.सी.डी.सी. से की गयी थी, किन्तु एन0सी0डी0सी0 द्वारा सहकारिता क्षेत्रक को धनराशि आवंटित न करते हुए निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी–

रू0 में)

क्षेत्रक का नाम	स्वीकृत धनराशि	उपयोग धनराशि	प्रस्तावित/किये गये कार्यो का विवरण
सहकारिता	10.00	0	माह सितम्बर, 2022 तक सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग किया जाना निर्देशित है।
भेड़–बकरी	10.00	0.71	
डेयरी	3.00	1.89	
मत्स्य	2.00	0	
योगः–	25.00	2.60	

समिति अध्यक्ष महोदय द्वारा चारों क्षेत्रकों को निर्देश दिए गए कि माह सितम्बर, 2022 तक स्वीकृत परियोजना/सहकारी संस्थाओं को तत्काल धनराशि अवमुक्त करते हुए कार्यो के निष्पादन में गति लायी जाय।

एजेण्डा बिन्दु सं0 4– वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु परियोजनान्तर्गत क्षेत्रकवार संचालित किये जाने वाली गतिविधियों एवं बजट मॉग पर चर्चा।

सचिव सहकारिता द्वारा परियोजना के चारों क्षेत्रकों हेतु आगामी दो वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के लिये गतिविधियों के सापेक्ष निम्नानुसार धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जिसके अनुसार दोनों वित्तीय वर्षो हेतु ऋण धनराशि की कुल मॉग रू0 569.98 करोड़ एवं अनुदान के रूप में रू0 111.99 करोड़ एन0सी0डी0सी0 से की जानी प्रस्तावित की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध निदेशक, एन0सी0डी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि यह परियोजना माह फरवरी, 2019 से क्रियान्वित की जा रही है, जिसकी कुल लागत रू0 3340.00 करोड़ है परन्तु तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के बाद इस परियोजना हेतु मात्र रू0 173.00 करोड़ की धनराशि ही अवमुक्त हो पायी है। साथ ही उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आगामी दो वर्षो के बाद CSISAC (Component-1) परियोजना का विस्तारीकरण सम्भव नहीं है, जिसके क्रम में सब्सिडी कम्पोनेन्ट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति पत्र को संशोधित करते हुए परियोजना प्रस्ताव स्पष्ट रूप से एक माह के भीतर एन0सी0डी0सी0 को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु सं0 5– परियोजना के निधि प्रवाह (Fund Flow) सुगमता लाये जाने के विषय पर चर्चा।

सचिव, सहकारिता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में निधि के प्रवाह (ऋण एवं अनुदान) की प्रक्रिया अत्यधिक लम्बी होने के कारण कार्यक्रम निदेशालय को निर्धारित समय अन्तर्गत प्राप्त नही हो पा रही है। तत्क्रम में परियोजना निदेशकों द्वारा भी धनराशि का आवंटन लाभार्थी तक पहुॅचने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है, जिससे ब्याज की धनराशि की देयता उत्तराखण्ड शासन अथवा परियोजना पर हो जाती है, क्योंकि एन0सी0डी0सी0 द्वारा ब्याज की गणना उसी दिन से प्रारम्भ कर दी जाती है, जिस दिन वह उत्तराखण्ड शासन को धनराशि अवमुक्त करते हैं। साथ ही ब्याज की दर भी अत्यधिक है।

उपरोक्त प्रक्रिया का समय कम करते हुए सुगम बनाने के दृष्टिगत् सचिव, सहकारिता द्वारा निम्न

संख्या:64137/XIV-1/2022-5(30)/2017 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, कृषि, उद्यान सगन्ध पौध विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य कार्यक्रम निदेशक, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, देहरादून।
8. स्टाफ ऑफिसर्स, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
9. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, देहरादून।
10. परियोजना निदेशक, सहकारिता, डेयरी, मत्स्य एवं भेड़–बकरी, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

Signed by Basava Venkata
Rana Chandra Purushottam
Date: 17-09-2022 13:58:55
(डी.बी.वी.आर.सी.पुरुषोत्तम)
सचिव।